

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, जमुई के पत्राक-2201 दिनांक-22.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० निमिषा रानी, (R.No-BR00150060000187 जन्मतिथि-09.01.1988) चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० रानी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-511(9) दिनांक-17.05.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्राक-980(9) दिनांक-15.09.2023 एवं 201(9) दिनांक-02.02.2024 द्वारा डा० रानी से द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-12.06.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-591 दिनांक-15.05.2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-15.07.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-06 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा० निमिषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:-संकल्प की प्रति डा० निमिषा रानी एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-04-19/2023(स्वा०).....796(9)/ पटना, दिनांक:.....17.7.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० निमिषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

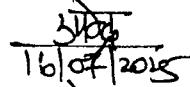
16/07/2025

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आईटी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/07/2018
सरकार के अवर सचिव।